

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1867 / 2010 / डूंगरपुर

मैसर्स राजमंदिर फर्नीचर वर्क्स, डूंगरपुर ।
बनाम्

...अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, डूंगरपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया,
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है जो अपील संख्या-31/आर.एस.टी./2008-09 के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, डूंगरपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 के तहत निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 22.12.2008 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के द्वारा निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।
2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 के तहत निर्धारण आदेश दिनांक 22.12.2008 को पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

लगातार.....2

अपील संख्या : 1867 / 2010 / झुंगरपुर

4. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2011 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2010 के जरिये अपील स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2011 के जरिये प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण शून्य मांग राशि में कर दिया है। अतः प्रकरण के निस्तारित हो जाने के कारण, विवादाधीन प्रकरण में अपीलीय आदेश दिनांक 21.04.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:-

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर.टी. जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं०, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मसी, उदयपुर अपील संख्या 2052 / 2005 / उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

5. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपील को सारहीन घोषित करने की प्रार्थना की गयी ।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति का विरोध न कर, उठायी गयी आपत्ति पर सहमति प्रकर की गयी ।


7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स



अपील संख्या : 1867 / 2010 / डूंगरपुर

अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय 38 टैक्स वर्ल्ड 16 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक 04.07.2011 पारित किये जाने के फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर, प्रस्तुत अपील "सारहीन" घोषित कर, अस्वीकार की जाती है ।

8. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।
9. निर्णय सुनाया गया ।


15-7-2014
(मदन लाल)
सदस्य